

## आदेश

सरकारी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए श्री सन्नी खोवाल, वन दरोगा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला को हरियाणा वन विकास निगम, अम्बाला के कार्यालय में लगाई गई अतिरिक्त ड्यूटी से तुरन्त प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है।

दिनांक : 29.04.2026

के० सी० मीणा, भा०व०से,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,  
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्र०:-ई-2/212-18

दिनांक:- 01-05-2026

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग, हरियाणा को उनके डायरी न० 1662 दिनांक 09.04.2026 के संदर्भ में।
2. प्रबंध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला।
3. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला।
4. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला।
5. महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, अम्बाला।
6. निजी सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, हरियाणा, पंचकूला।
7. एम०आई०एस० शाखा, निदेशालय को आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री सन्नी खोवाल, वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला।



अधीक्षक प्रशासन,

कृते०: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,  
हरियाणा, पंचकूला।